

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था 2/सी/स्थाना./45/2010/957-C


भोपाल, दिनांक 15/6/10

/आदेश/

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित व्याख्याताओं का स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2. यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि के पात्रता नहीं होगी। -

स.क्र.	व्याख्याता का नाम	यूनिक आई. डी.क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाइस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री विक्रम पटेल रास्वनी	BH2638	आर्ट्स उत्कृ.वि. हाटपिपलिया देवास	23230477702	शा.उ.मा वि सिरोलिया देवास	23230177706
2	शाहिदा तबस्सुम जीवविज्ञान	AU5680	कन्या उ.मा.वि. नरसिंहगढ़ राजगढ़	23300377702	शा.उ.मा.वि. जहांगीराबाद भोपाल (दिनांक 31.07.10 को संबंधित विषय के व्याख्याता की सेवानिवृत्ति उपरांत आदेश प्रभावशील होगा)	23320377715
3	श्रीमती सध्या तिवारी, इतिहास	AB8323	शा.म.ल.बा.कन्या उ.मा.वि. सिवनी जिला सिवनी	23440177702	शा.कन्या उ.मा.वि. कटंगी जिला जबलपुर	23390577704




आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल, दिनांक 15/6/10

पृष्ठा क्रमांक/स्था 2/सी/स्थाना./45/2010/958
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. कलेक्टर जिला देवास, राजगढ़ भोपाल, सिवनी, एवं जबलपुर।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला देवास, राजगढ़ भोपाल, सिवनी, एवं जबलपुर।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय उज्जैन, भोपाल एवं जबलपुर, म.प्र।
7. जिला कोषालय जिला देवास, राजगढ़ भोपाल, सिवनी, एवं जबलपुर।

8. जिला शिक्षा अधिकारी देवास, राजगढ़ भोपाल, सिवनी, एवं जबलपुर म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानांतरित सस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावें। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित सस्था प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण म प्र

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्रमांक/स्था.2/सी/स्थानां./45/2010/957-A

/आदेश/

भोपाल, दिनांक 15/6/10

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित व्याख्याताओं का स्थानांतरण समान सामाज्य एवं वेतनमान में पद सहित उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित रांस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।
2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि के पात्रता नहीं होगी :-

स.क्र.	व्याख्याता का नाम	यूनिक आई. डी.क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाइस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री बृजेश त्रिपाठी व्या.शि.	AF7265	शा.उ.मा.वि. लौडी छतरपुर	23090677701	शा.उ.मा.वि. क2 छतरपुर	23090577702
2.	श्री संतोष कुमार गुप्ता व्या.शि.	BM9572	शा.उ.मा.वि. पबई जिला पन्ना	23100477701	शा.उ.मा.वि. विसुरखी जिला सागर	23111077709
3.	श्री पी.डी. विश्वकर्मा व्या.शि.	AH7574	शा.उत्कृ.वि. दमोह	23120377701	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. नौगांव जिला छतरपुर	23090777701



आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 15/6/10

पृष्ठां. क्रमांक/स्था.2/सी/स्थानां./45/2010/958
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन. स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. कलेक्टर जिला छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह ;
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सागर म.प्र. ।
7. जिला कोषालय जिला छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानांतरित संस्था में नियुक्तन से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावें । संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे । आदेश के कियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।
9. संबंधित संस्था प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/स्थानां./45/2010/957B

भोपाल, दिनांक 15/6/10

/आदेश/

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कालेम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

स.क्र.	व्याख्याता का नाम	यूनिक आई. डी.क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाइस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री आर.पी.गिरी गणित	AK9044	शा.क.उ.मा.वि. रेल्वे कालोनी ग्वालियर	23040577712	शा.उ.मा.वि.क.2 मुरार ग्वालियर	23040577708
2	श्रीमती विजया नीम पिपलेकर हिन्दी	AA6215	शा.उत्कृ.उ.मा. वि. क.1 सीहोर	23330577706	शा.बा.उ.मा.वि.महू जिला इंदौर	2326027704
3	श्री मानसिंह यादव भूगोल	अप्राप्त	शा.बा.उ.मा.वि. सबलगढ़ जिला मुरैना	23020777701	शा.उ.मा.वि. दिनारा जिला शिवपुरी	23060777703
4	श्रीमती प्रणीता पाठक भौतिक	AX99.32	शा.क.उ.मा.वि. देवरी जिला सागर	23110677702	शा.उ.मा.वि. सदर सागर	अप्राप्त
5	श्रीमती रेणु अवस्थी अंग्रेजी	AR5103	शा.बा.उ.मा.वि. क.2 मुरैना	23023077708	शा.लालचंद उ.मा. वि. खितौला बाजार जबलपुर	23390777703


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक/स्था.2/सी/स्थानां./ 45/2010/958
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15/6/10

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन. स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. कलेक्टर जिला ग्वालियर, इंदौर,सीहोर, मुरैना, शिवपुरी, सागर, एवं जबलपुर ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला ग्वालियर, इंदौर,सीहोर, मुरैना, शिवपुरी, सागर, एवं जबलपुर ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय इंदौर, ग्वालियर सागर, जबलपुर एवं भोपाल म.प्र. ।
7. जिला कोषालय जिला ग्वालियर, इंदौर,सीहोर, मुरैना, शिवपुरी, सागर, एवं जबलपुर ।

8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, मुरैना, शिवपुरी, सागर, एवं जबलपुर म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानांतरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित संस्था प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



आयुक्त
जोद शिक्षण म.प्र.